

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

कमांक/ 757-106/सीएमहेला/आउशि/अनु.ब/17.

भोपाल, दिनांक

9-4-2018

प्रति,

प्राचार्य,
अशासकीय जे.सी.मिल्स कन्या महाविद्यालय,
बिड़ला नगर, ग्वालियर ।

विषय:- वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन में संशोधन बावत सी.एम.हेल्पलाईन प्रकरण 3317280- डॉ.कु.मीरा अरोरा, से.नि. सहा.प्राध्या., जे.सी.मिल कालेज बिरला नगर, ग्वालियर ।

-----0-----


उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/कीड़ाअधिकारी/अधिकारी को वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन तिथि में संशोधन के संबंध में संबंधित अधिकारी द्वारा दर्ज सीएम हेल्पलाईन शिकायत एवं आपके द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिलेखों के अनुक्रम में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस कार्यालय स्तर पर गठित अनुवीक्षण समिति द्वारा शासन द्वारा निर्धारित पात्रता के दिशा निर्देशों के अंतर्गत प्रकरण का परीक्षण किया गया ।

2. इसमें पूर्व में वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान में किये गये स्थानन की तिथि में संशोधन के संबंध में निम्न सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/कीड़ाअधिकारी/अधिकारी के प्रकरणों में नीचे रिमार्क कॉलम में उल्लेख अनुसार निर्णय लिया गया है जो निम्नानुसार है:-

स.क.	सहायक प्राध्यापक का नाम, पदनाम	रिमार्क
1	2	3
1	डॉ.श्रीमती मीरा अरोरा, से.नि. सहा.प्रा. समाजशास्त्र	प्राचार्य ने पत्र दिनांक 30.11.17 द्वारा गोपनीय चरित्रावली उपलब्ध न होने एवं पूर्व प्राचार्य के न होने के कारण वर्ष 82 से 1991 की गोपनीय चरित्रावली के संबंध में अभिलेखों के आधार पर टीका उपलब्ध करायी गई है । गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के नियम एवं पुस्तक परिपत्र भाग-एक में उल्लेखित सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 69/267-एक(ओ.एंड एस) दिनांक 12.3.68 द्वारा प्रसारित के क्रमांक-7(चार) के अनुसार वर्तमान प्राचार्य द्वारा दी गई टीका मान्य योग्य नहीं है और तत्समय के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने से वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि में संशोधन सा.प्र.वि.के उक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में मान्य योग्य नहीं है। अतः वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान में पूर्व में किया गया स्थानन यथावत रखने की अनुशंसा की जाती है।
2	डॉ.अन्नपूर्णा भदौरिया, से.नि. सहा.प्रा. हिन्दी	
3	डॉ.गीता कुशवाह, से.नि. सहा.प्रा.राजनीति से.नि.	

3. अतः उक्त प्रकरणों के समक्ष रिमार्क में उल्लेख अनुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

(प्रशासकीय विभाग, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


 4/4/18
 (डॉ.सुषमा दुबे)
 अपर संचालक(वित्त)
 उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल

निरंतर-2


पृ०क०- 758 /06/सीएमहेला/ आउशि/अनु.ब/17

भोपाल, दिनांक- 9-4-2018

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चंबल संभाग,ग्वालियर(म.प्र.) ।
5. प्राचार्य/शिक्षाअधिकारी, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय,ग्वालियर(म.प्र.) ।
6. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर(म.प्र.) ।
7. वि.क.अ.(आई.टी.सेल),कार्या.आयुक्त,उच्च शिक्षा,भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
8. संबंधित अधिकारी डॉ.कु.मीरा अरोरा,सेनि सहायक प्राध्यापक,अरोरा भवन, वार्ड नं.33, सिन्धी की छावनी, लखर (ग्वालियर.)।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा,म.प्र.,भोपाल